न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 47/2019

1–जयपाल पुत्र देशराज जाति जाट निवासी गागड़वा तहसील राजगढ जिला चूरू राज0 हाल निवासी नांवा जिला नागौर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला नागौर

2.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़,श्री वी.पी.सिंह राठौड़ व श्री नेमीचन्द शर्मा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से

अपील विरूद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नांवा बनाम राजपाल मु0सं0 12/19 निर्णय दिनांक 03.06.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक:18.01.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 12/2019 सरकार बनाम जयपाल जाट में निर्णय दिनांक 03.06.2019के तहत मौजा ग्राम नावां के खसरा नं0 01 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि से बेदखली व शास्ति से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा कनवरशन आदेश दिनांक 03.02.2008 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र की फोटो प्रति, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 03.06.2019 की फोटोप्रति, अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय के प्रकरण संख्या 12/2019 सरकार बनाम जयपाल जाट के फर्द अहकाम दिनांक 30.05.2019 से 03.06.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट की फोटोप्रति, खसरा परिवर्तीत निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल कास्त सवंत् 2076 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति पेश की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है किः–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्ययालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि ग्राम मोहनपुरा की शरहद की भूहिम खसरा नम्बर 147, 150, 152, 153, 161, 346/332 व खसरा नम्बर 347/333 कुल रकबा 5.2600 हैक्टेयर तत्कालीन खातेदारान सतीश कुमार, रामकुमार, संजीव कुमार पिसरान अशोक कुमार से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के सम्पूर्ण प्रतिफल राशी अदा कर खरीद की व खरीद करने के पश्चात उक्त पक्षकारान की भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज हो गई ।

{2}(3) – यह है कि अपीलार्थी ने उक्त विक्रीत भूमि को उपखण्ड अधिकारी,नावा द्वारा कनवरशन भी दिनांक 03.02.2008 को करवा लिया। अपीलार्थी का वर्तमान भी कब्जा अधिकार खरीद की गई भूमि पर ही है। अपीलार्थी ने सरकारी भूमि का प्रतिबंधित पर ही है। अपीलार्थी ने सरकारी भूमि का प्रतिबंधित भूमि पर एक ईन्च कब्जा नहीं किया, न ही आज ही है। मगर अपीलार्थी के बिना जानकारी के एक पक्षीय नाम हल्का पटवारी ने राजनैतिक द्वैषता वंश किया है, इसलिए भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 02.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस पेशी दिनांक 03.06.2019 को प्राप्त हुआ, जिस पर अपीलार्थी दिनांक 03.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में स्वय उपस्थित हुआ, तब अधीनस्थ न्यायालय से जानकारी प्राप्त हुई कि आज की पेशी दिनांक 09.06.2019 की है तथा नोटिस में भी दिनांक 09.06.2019 ही है। जिससे भी उक्त अपील काबिले निरस्त है।

{2}(5) –यह है कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान बाबत आदेश प्रस्तुत प्रस्तुत किया, मगर बिना सीमा ज्ञान के ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(6) –यह है कि प्रार्थीया का झील भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है, पूर्व प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का नाप चौंक करवाया जाना आवश्यक है।अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर ही काबिज है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा की रिपोर्ट व जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक नावां द्वारा कि गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी ग्राम नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर सोलर प्लेट ट्यूबबैल पक्की विद्युत केबिन बनाकर पाईप व केवल लगाकर अतिक्रमण किया है । सम्वत 2076 से अतिक्रमण किया हुआ है उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि पर अप्रार्थी का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गयां आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता हे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नही होता है।

:::: आ दे श ::::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील पर खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)